

उत्तर प्रदेश शासन
राज्य कर अनुभाग-2

संख्या-705/ग्यारह-2-21-9(47)/17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(195)-2021

लखनऊ: दिनांक: 04 अगस्त, 2021

अधिसूचना

एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (अधिनियम संख्या 13 सन् 2017) की धारा 20 के साथ पठित उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2017)(जिसे आगे इस अधिसूचना में उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 168क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, परिषद की सिफारिशों पर, एतद्द्वारा अधिसूचना सं.-496/ग्यारह-2-21-9(47)/17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(186)-2021 दिनांक 28 जून, 2021, में निम्नलिखित संशोधन करती हैं, अर्थात: -

उक्त अधिसूचना के प्रथम पैरा में -

(i) खंड (i) में, --

क. अंक, अक्षर और शब्द "30 मई, 2021" के स्थान पर अंक, अक्षर और शब्द "29 जून, 2021" रख दिये जायेंगे;

ख. अंक, अक्षर और शब्द "31 मई, 2021" के स्थान पर अंक, अक्षर और शब्द "30 जून, 2021" रख दिये जायेंगे;

(ii) खंड (i) के परंतुक में, --

क. अंक, अक्षर और शब्द "31 मई, 2021" के स्थान पर अंक, अक्षर और शब्द "30 जून, 2021" रख दिये जायेंगे;

ख. अंक, अक्षर और शब्द "15 जून, 2021" के स्थान पर अंक, अक्षर और शब्द "15 जुलाई, 2021" रख दिये जायेंगे;

(iii) खंड (ii) में, --

क. अंक, अक्षर और शब्द "30 मई, 2021" के स्थान पर अंक, अक्षर और शब्द "29 जून, 2021" रख दिये जायेंगे;

ख. अंक, अक्षर और शब्द "31 मई, 2021" के स्थान पर अंक, अक्षर और शब्द "30 जून, 2021" रख दिये जायेंगे।

2. यह अधिसूचना 30 मई, 2021 से प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

आज्ञा से,



(संजीव मित्तल)

अपर मुख्य सचिव